03CC 382363

24 SEP 2014

विक्रय विलेख

| | |
|---|---|
| विक्रय मूल्य | : रू० 10,37,075/ |
| मालियत मूल्य | : रू० 5,50,000/ |
| स्टाम्प शुल्क | : रू० 1,08,300/ |
| स्थान | : बिजनौर |

यह विक्रय विलेख पप्पू पुत्र श्री स्व० सोमई निवासी ग्राम कुतुबपुर नगर उर्फ बांगियामऊ_परगना-बिजनौर, तहसील व जिला,

25-9-04

D. 3. 45

25-9-04

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

Rs.20000

INDIA NON JUDICIAL

03CC 302362



लखनऊ जिसे आगे विक्रेता कहा गया है, श्री हीरा लाल पुत्र श्री शिव गनी कोरी, निवासी–ग्राम मिर्जापुर सिराठी, पोस्ट–नौगाँव, जिला फतेहपुर, उ0प्र0 जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा नं0 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 व 62 कुल रकबा 1.224 हेक्टेअर का आधा भाग, स्थित ग्राम मुहम्मद नगर उर्फ बगियागढ़, परगना

[illegible], इलाहाबाद

25-9-[illegible]

[illegible]

उप निबंधक

[illegible]

(हस्ताक्षर)

25-9-[illegible]

[illegible]

25-9-[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000

Rs. 20000 Rs. INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000 Rs.

03CC 302363



–बिजनौर तहसील व जिला, लखनऊ, के मालिक, काबिज व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित महत्वांकित खाता खतौनी क्रम संख्या 21 के अनुसार पप्पू को उक्त भूमि विरासतन अपने पिता श्री खेन्नू की मृत्यु के बाद मिली है तथा भूमि का विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs. 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000

0200 302364

24 SEP 2024



यह घोषित करते हैं, कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का हिस्सा, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs. 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000

03CC 302365

24 SEP 2004



उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु0 10,87,875/- (दस लाख सत्तासी हजार आठ सौ पचहत्तर रुपया) के प्रतिफल मे जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त मे दी गई अनुसूची मे वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते है, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को सदैव बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.

Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

1 4 SEP 2004



मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000 रु.

Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES



सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या हाथ से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे।

1000Rs

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES



यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है किन्तु ग्राम युसुफ नगर जहाँ व्यावसायिक

5000Rs

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

Rs 5000

भारत

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

174033

- 9 -

अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रु0 9,00,000/- प्रति हैक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.612 हैक्टेयर की मालियत रु0 5,50,800/- होती है। तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 1,08,200/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआं, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अधिवास से

१०० रु. Rs 100

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES



कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

100Rs.

१००रु. Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES



परिशिष्ट - विलय विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा नं0 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 व 62 कुल रकबा 1.224 हेक्टेयर का आधा भाग, स्थित ग्राम रसूलपुर नगर अर्फ़ बागीचामऊ, परगना -बिजनौर तहसील व जिला, लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न है।

100Rs

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.　　Rs 100

भारत

एक सौ रुपये　ONE HUNDRED RUPEES



<u>खसरा नं0 52 से 62 तक रकबा 0.612 हेक्टेअर</u>

| | |
|---|---|
| पूरब | : खसरा संख्या–63 |
| पश्चिम | : खसरा संख्या–50, 48 का भाग |
| उत्तर | : खसरा संख्या–31 व 63 का भाग |
| दक्षिण | : खसरा संख्या–64 व 48 का भाग |

500Rs.

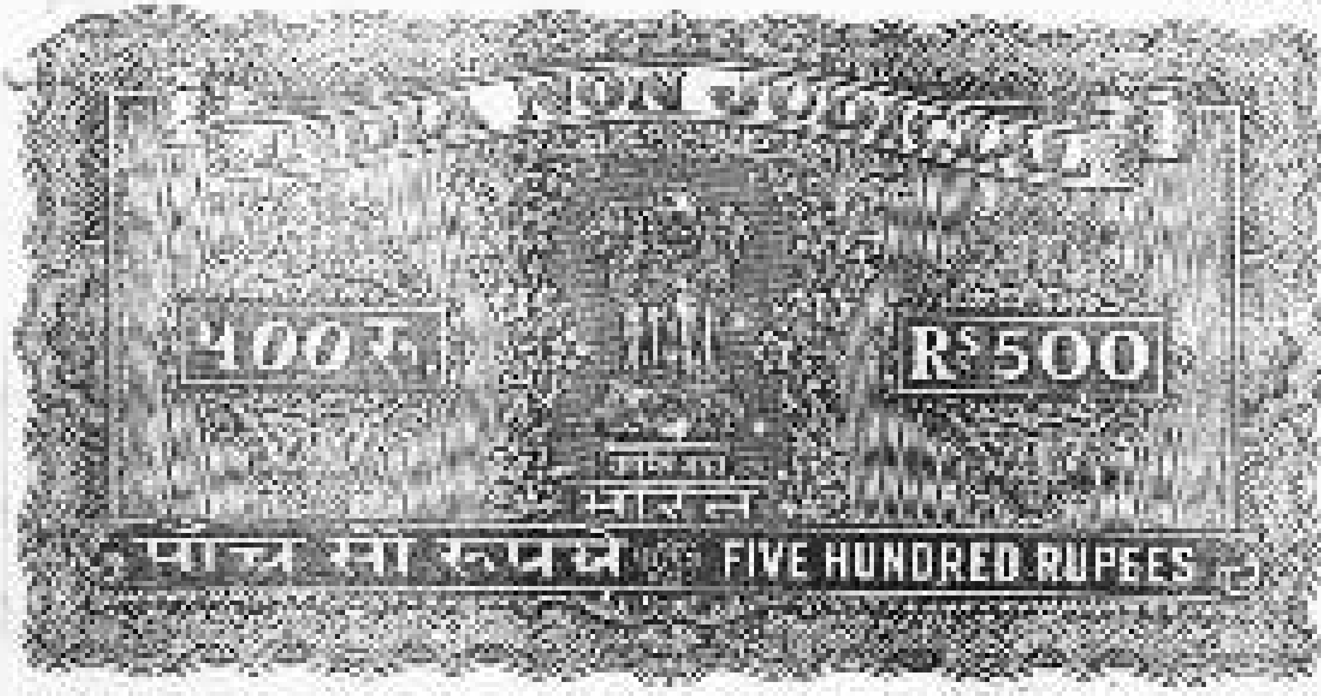


-13-

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

रु0 10,87,875/- (रुपये दस लाख सत्तासी हजार आठ सौ पचहत्तर मात्र) द्वारा बैंक आर्डर संख्या- दिनांक 23.09.2004 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज, लखनऊ।

विक्रेता को क्रेता से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते है।

लखनऊ

दिनांक: 25.09.2004

विक्रेता

गवाह

1.
(D.K. Srivastava)
S/o Chandra Lal ...
Lucknow

2.
[illegible]

टाईपकर्ता
(राम ... )

मसविदाकर्ता
(वेंकट रमन सिंह)
एडवोकेट

[illegible]

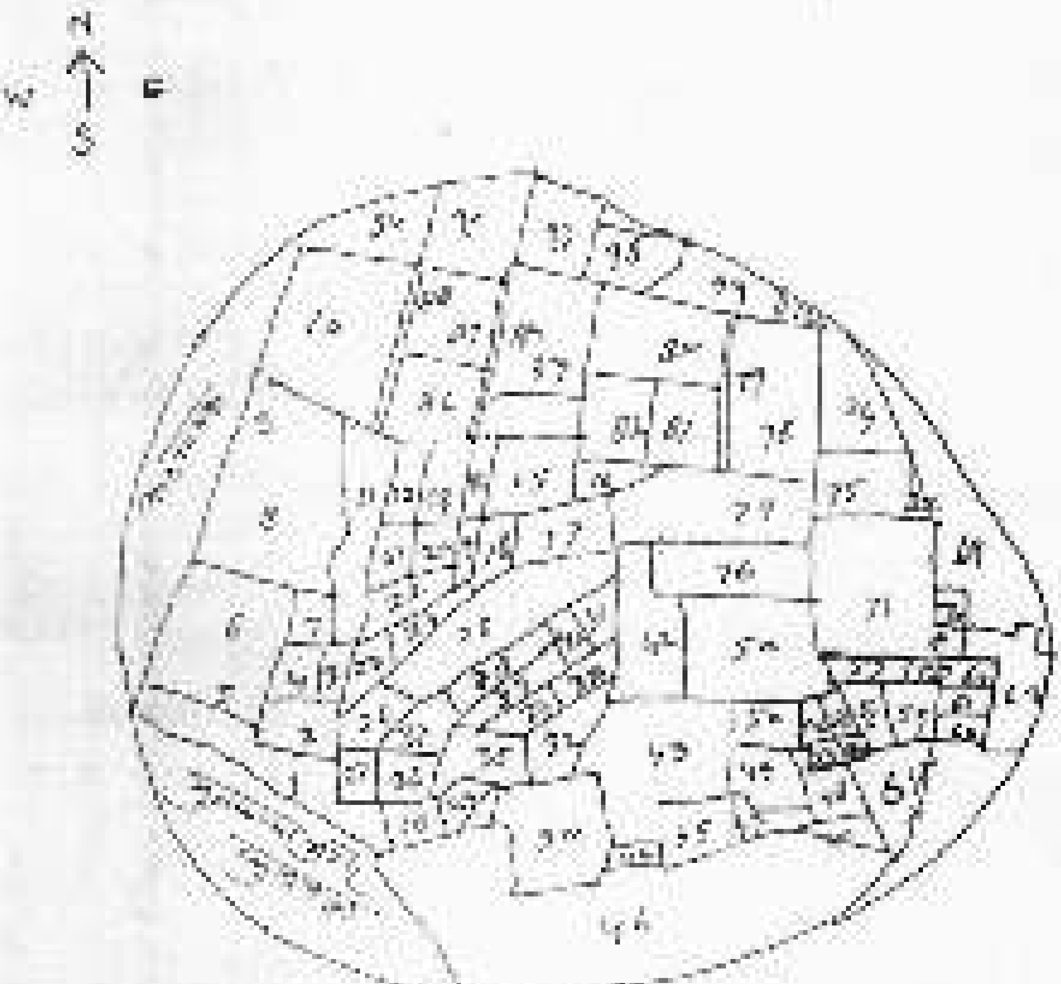

N
W
E
S


[illegible]

## रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : [illegible]

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

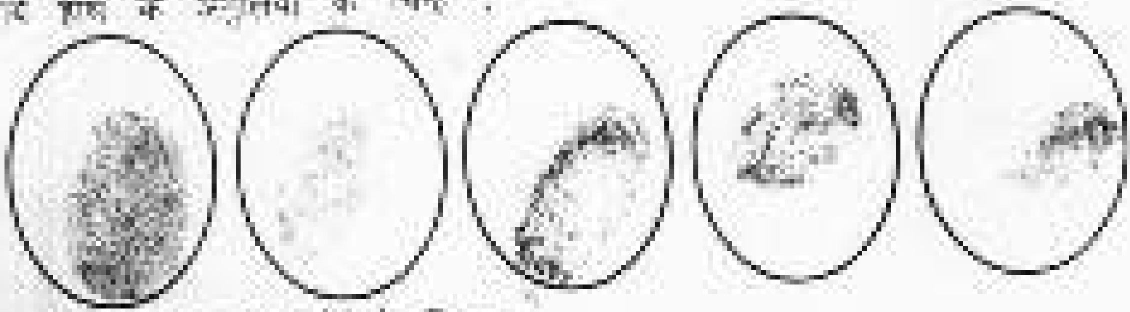

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

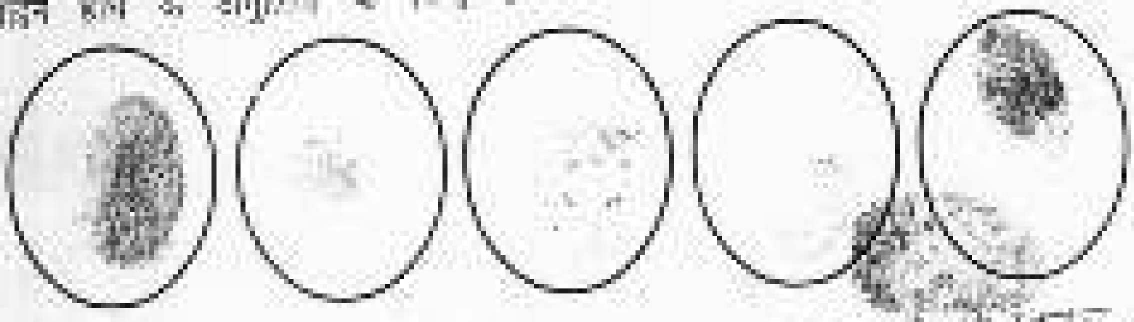

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता [illegible]

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

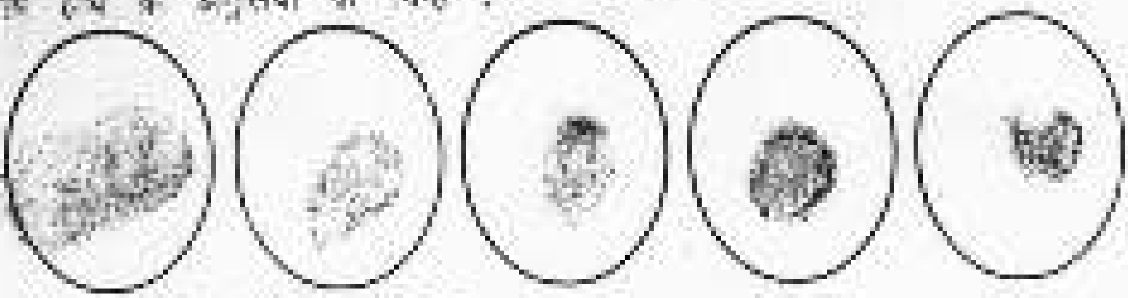

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

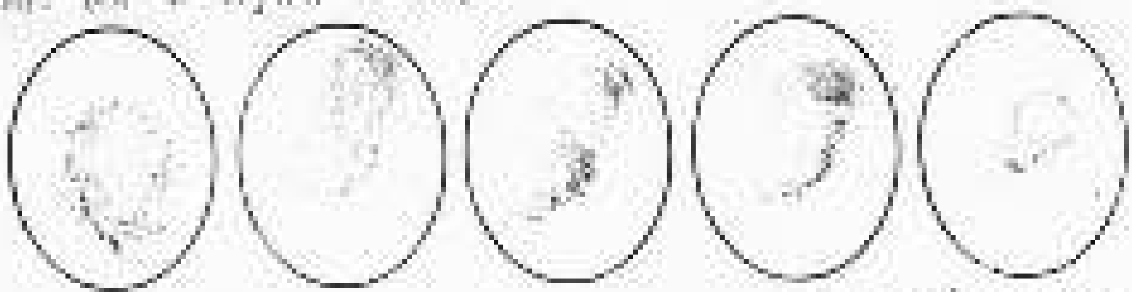

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]